अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

अनुपालन लेखापरीक्षा सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित लेन-देनों की परीक्षा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या भारत के संविधान तथा लागू विधि, नियमों-विनियमों के प्रावधानों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, का उल्लेख करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक तथा अभीष्ट उद्देश्यों को पाने के संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता को निर्धारित करने हेतु नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों की परीक्षा भी शामिल है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को संसद के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों की आवश्यकता है कि रिपोर्टिंग की अहमियत का स्तर लेन-देनों की प्रकृति, मात्रा और आकार के अनुरूप हो। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यकारिणी को सुधार कार्यों को लागू करने के साथ-साथ ऐसी नीतियाँ व निर्देशों को बनाने में सक्षम करे जिससे संगठनों का वित्तीय प्रबंधन सुधरे, इस प्रकार बेहतर सुशासन में योगदान दे।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा के योजना और विस्तार को स्पष्ट करने के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ-साथ वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण, बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति, विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति, अपलिखित/माफ की गई हानियाँ व न वसूल होने वाली देयताओं तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अध्याय-II से VI, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीन अनुसंधान केन्द्रों, संस्थाओं एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से निकले निष्कर्षों/टिप्पणियों को प्रस्तुत करते है। इस प्रतिवेदन में विभिन्न वैज्ञानिक तथा पर्यावरण संस्थानों में परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रणों इत्यादि की प्रणाली में निहित कमियों को भी दर्शाया गया है।

1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, भारत सरकार के निम्नलिखित वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अंतर्गत इकाइयों की लेखापरीक्षा हेतु उत्तरदायी है:

1) **परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)**
2) **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसमें शामिल है:**
   क) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.);
   ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); एवं
   ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)
3) **अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)**
4) **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.)**
5) **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.)**
6) **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)**
7) **जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.)**

यह प्रतिवेदन उपरोक्त वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों के अधीन उनके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाविष्ट करता है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा सी. एंड ए.जी. द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों में शामिल सिद्धांतों एवं प्रथाओं के अनुरूप की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप से मंत्रालय/विभाग और प्रत्येक इकाई में किए गए व्यय, कार्रवाइयों की नाजुकता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण एवं हितधारकों की चिंताओं पर आधारित जोखिम के मूल्यांकन के साथ प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया में पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी विचार किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की बारम्बारता एवं सीमा निश्चित की जाती है। इस प्रकार के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अंतर्विष्ट करके निरीक्षण प्रतिवेदनों को इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर इकाइयों से लेखापरीक्षा निष्कर्षों

पर उत्तर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु आगे की कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से निकलने वाली प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिन्हें भारतीय संविधान के अनुछेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, में सम्मिलित करने हेतु तैयार किया जाता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के 434 इकाइयों में से 175 का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया।

1.4 बजट और व्यय नियंत्रण

वर्ष 2014-15 के दौरान तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों में वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय की तुलनात्मक स्थिति तालिका 1 में दी गई है।

तालिका 1 : वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	2012-13	2013-14	2014-15
1) डी.ए.ई.	11,981.76	13,437.26	14,281.21
2) डी.बी.टी.	1,282.84	1,291.32	1,346.97
3) डी.एस.टी.	2,524.22	2,610.22	2,906.18
4) डी.एस.आई.आर.	2,945.66	3,159.54	3,393.52
5) डी.ओ.एस.	4,856.28	5,168.95	5,821.37
6) एम.ओ.ई.एस.	1,177.14	1,248.15	1,301.35
7) एम.ओ.ई.एफसी.सी.	1,996.69	2,158.80	1,862.17
8) एम.एन.आर.ई.	1,243.72	1,633.52	2,518.10
9) एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	1,055.59	1,094.71	5,524.47
कुल	**29,063.90**	**31,802.47**	**38,955.34**
प्रतिशत बढ़ती(+)/घटती(-)	**(-)14.84**[1]	**(+)9.42**	**(+)22.49**

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

[1] 2011-12 में किए गए ₹ 34,127.84 करोड़ के व्यय के आधार पर की गई गणना

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार के उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों पर कुल व्यय ₹ 38,955.34 करोड़ था। इसमें से, कुल व्यय का 37 प्रतिशत का व्यय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया गया था, उसके बाद अंतरिक्ष विभाग (15 प्रतिशत) एवं जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (14 प्रतिशत) आते हैं।

जहां वर्ष 2011-12 के मुक़ाबले 2012-13 के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के कुल व्यय में 14.84 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी हुई थी, वहीं 2012-13 के मुक़ाबले 2013-14 के दौरान कुल व्यय में 9.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर. द्वारा किए गए व्यय में 405 प्रतिशत की वृद्धि के कारण वर्ष 2014-15 के दौरान कुल व्यय में 22.49 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

चार्ट 1 : वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए व्यय

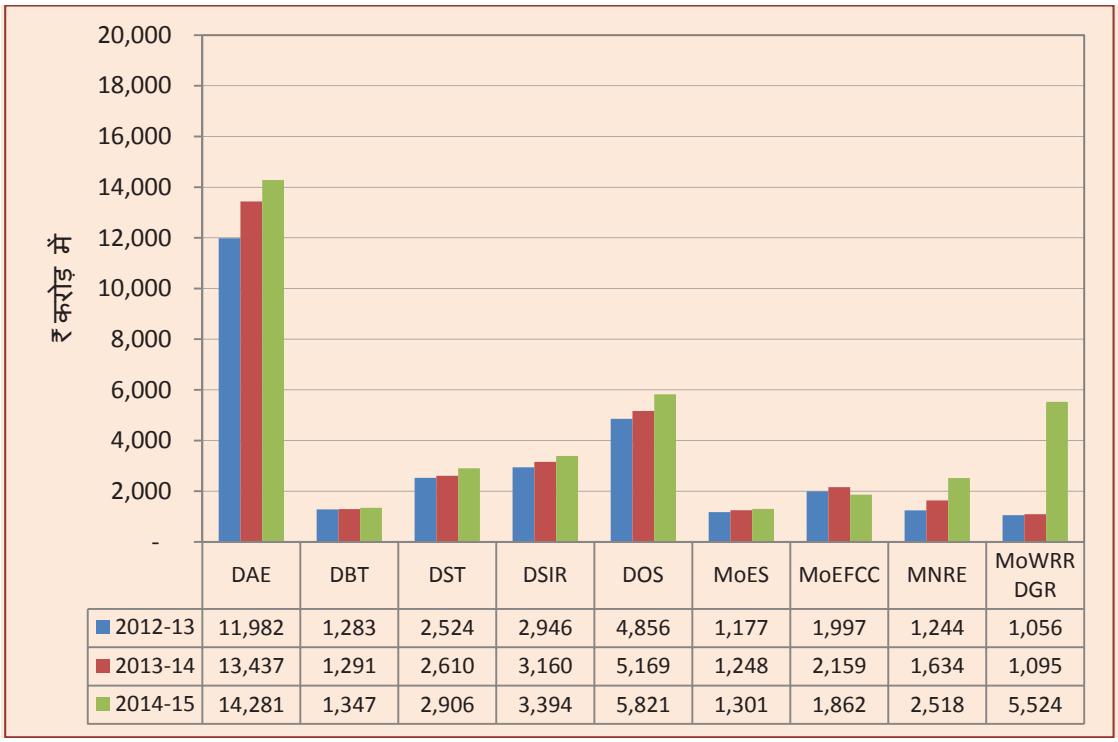

	DAE	DBT	DST	DSIR	DOS	MoES	MoEFCC	MNRE	MoWRR DGR
2012-13	11,982	1,283	2,524	2,946	4,856	1,177	1,997	1,244	1,056
2013-14	13,437	1,291	2,610	3,160	5,169	1,248	2,159	1,634	1,095
2014-15	14,281	1,347	2,906	3,394	5,821	1,301	1,862	2,518	5,524

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2014-15 के लिए विनियोग लेखों का सारांश तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2 : वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालय/विभागों द्वारा प्राप्त अनुदान एवं किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	अनुदान/विनियोग (अनुपूरक अनुदान सहित)	व्यय	(-) बचत/ (+) अधिकता	अव्ययित अनुदान का प्रतिशत
1) डी.ए.ई.	16,147.00	14,281.21	1,865.79	12
2) डी.बी.टी.	1,517.24	1,346.97	170.27	11
3) डी.एस.टी.	3,567.13	2,906.18	660.95	19
4) डी.एस.आई.आर.	3,707.17	3,393.52	313.65	8
5) डी.ओ.एस.	7,241.06	5,821.37	1,419.69	20
6) एम.ओ.ई.एस.	1,702.23	1,301.35	400.88	24
7) एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	2,594.52	1,862.17	732.35	28
8) एम.एन.आर.ई.	3,057.39	2,518.10	539.29	18
9) एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर. डी.जी.आर.	15,389.06	5,524.47	9,864.59	64
कुल	**54,922.80**	**38,955.34**	**15,967.46**	**29**

स्रोत: वर्ष 2014-15 के लिए विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 54,922.80 करोड़ के कुल बजट आवंटन के संदर्भ में वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों की कुल बचत ₹ 15,967.46 करोड़ थी जो कुल अनुदान/विनियोग का 29 प्रतिशत है। ₹ 15,967.46 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 9,864.59 करोड़ (62 प्रतिशत) का बचत योगदान अकेले एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर. द्वारा किया गया था।

चार्ट 2 : मंत्रालय/विभागवार बचत का प्रतिशत

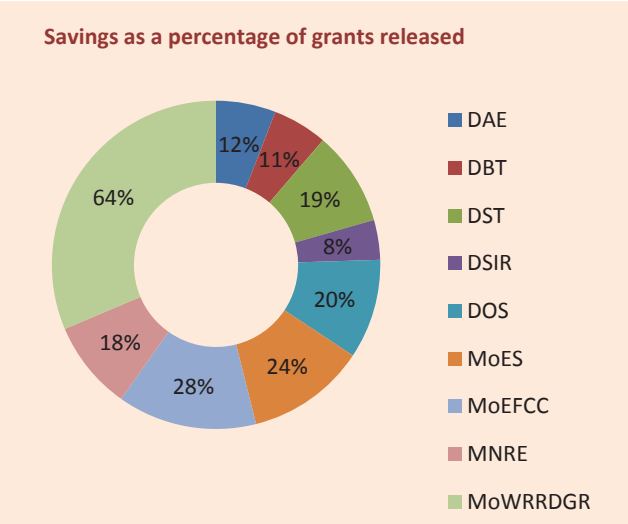

डी.एस.आई.आर. के अपवाद के साथ, सभी अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के पास 11 प्रतिशत से लेकर 64 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण बचत थी। वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों को जारी अनुदानों के अनुपात के तौर पर एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर. की बचत सबसे अधिक (64 प्रतिशत) थी, इसके बाद एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. (28 प्रतिशत) था।

1.5 स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग 14 स्वायत्त निकायों का एकमात्र लेखापरीक्षक है जिनके लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआरएस) सी. एण्ड ए.जी. के (डीपीसी अधिनियम), 1971 की धारा 19(2) एवं 20(1) के अंतर्गत तैयार की जाती है। इन 14 स्वायत्त निकायों को 2014-15 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान ₹ 4,489.96 करोड़ था, जैसा कि विस्तार से तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 3 : केंद्रीय स्वायत्त निकायों को जारी अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स्वायत्त निकायों के नाम	मंत्रालय/विभाग	2014-15 के दौरान जारी की गई अनुदान की राशि
1) विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	535.00
2) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	90.84
3) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	6.75
4) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डी.एस.आई.आर.	3,334.88
5) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	16.87
6) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	29.50
7) राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	19.06
8) स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	254.88
9) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	10.00
10) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	22.30
11) बेतवा नदी बोर्ड, झाँसी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	17.00
12) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	80.00
13) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	10.88
14) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	62.00
कुल		**4,489.96**

स्रोत: स्वायत्त निकायों के वर्ष 2014-15 हेतु पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वार्षिक लेखा

इसके अतिरिक्त, सी. एण्ड ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत 68 अन्य स्वायत्त निकायों की पूरक/अध्यारोपित लेखापरीक्षा भी की जाती है। 2014-15 के दौरान 44[2] स्वायत्त निकायों को जारी किया गया कुल अनुदान ₹ 3,353.23 करोड़ था।

[2] डीबीटी के अधीन 16 स्वायत्त निकायों तथा एमओईएफसीसी के अधीन आठ स्वायत्त निकायों से संबंधित सूचना विभाग/मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई थी।

1.5.1 लेखों की प्रस्तुति में विलंब

सदन के पटल पर रखे गए पत्रों संबंधित समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (पाँचवी लोकसभा) 1975-76 में सिफ़ारिश किया था कि वित्तीय वर्ष की समाप्ती के पश्चात, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को अपने लेखों को तीन महीने की अवधि के अंदर पूर्ण कर लेना चाहिए और उनको लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए तथा प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा किए गए लेखों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अंदर संसद के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

वर्ष 2014-15 के लिए लेखों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति तालिका 4 में दर्शाई गई है।

तालिका 4 : स्वायत्त निकायों द्वारा लेखों की प्रस्तुति की स्थिति

स्वायत्त निकाय के नाम	मंत्रालय/विभाग	लेखापरीक्षा के लिए लेखों की प्रस्तुति की तिथि	लेखों की प्रस्तुति में विलंब
1) विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	15.09.2015	2
2) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	13.08.2015	1
3) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	01.10.2015	3
4) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डी.एस.आई.आर.	10.07.2015	-
5) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	23.06.2015	-
6) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	30.06.2015	-
7) राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	09.06.2015	-
8) स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	30.06.2015	-
9) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	22.06.2015	-
10) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	01.07.2015	-
11) बेतवा नदी बोर्ड, झाँसी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	26.06.2015	-

तालिका 4 : स्वायत्त निकायों द्वारा लेखों की प्रस्तुति की स्थिति

स्वायत्त निकाय के नाम	मंत्रालय/विभाग	लेखापरीक्षा के लिए लेखों की प्रस्तुति की तिथि	लेखों की प्रस्तुति में विलंब
12) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	06.07.2015	-
13) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	16.06.2015	-
14) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	30.06.2015	-

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि तीन स्वायत्त निकायों ने एक माह या उससे अधिक के विलंब के बाद अपने लेखों को प्रस्तुत किया।

1.5.2 लेखों में महत्वपूर्ण कमियाँ

वर्ष 2014-15 के लिए लेखों पर एसएआर में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे नीचे दिये गए हैं:

1.5.2.1 ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृत्ति के अन्य लाभों के प्रावधान

i) बेतवा नदी बोर्ड, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने सेवानिवृत्ति लाभों जैसे कि ग्रेच्युटी व छुट्टी नगदीकरण आदि के लिए प्रावधान को वार्षिक लेखों में शामिल नहीं किया था।

ii) विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड ने आई.सी.ए.आई. के लेखा मानक 15 के अनुसरण में लेखा टिप्पणी में सेवा पश्चात लाभ/सेवानिवृत लाभ उदाहरणतः ग्रेच्यूटी व पेंशन एवं अन्य लाभ पर लेखा नीति को प्रकट नहीं किया।

iii) राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण ने वर्ष 2014-15 हेतु सेवांत लाभ का प्रावधान नहीं किया था। इसके अलावा, पिछले साल के लिए राशि ग्रेच्युटी व छुट्टी नगदीकरण आदि हेतु प्रावधान किए गए ₹ 24.83 लाख की राशि भी वापस करा दी गई तथा पूंजी निधि में जमा कर दी गई। इसका परिणाम देनदारियों पर अल्प कथन और उस हद तक पूंजी निधि पर अधिकथन के रूप में हुआ।

iv) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 2011 में करवाए गए पेंशन और ग्रेच्युटी की बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, उसके पास ₹ 127.34 करोड़ की देनदारी थी जो लेखा में दर्शाया नहीं गया था।

v) 31.03.2015 तक ग्रेच्युटी, अवकाश नकादिकरण के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के पास ₹ 43 करोड़ की कुल देनदारी थी जिसमे से प्राधिकरण ने सिर्फ ₹ 11.04 करोड़ का प्रावधान किया जिसका परिणाम ₹ 31.96 करोड़ की देनदारी के कम प्रावधान किए जाने के रूप में हुआ।

1.5.2.2 अन्य टिप्पणियाँ

i) विज्ञान एवं अनुसंधान अभियांत्रिकी बोर्ड, नई दिल्ली ने ₹ 172.86 करोड़ की राशि सहित 2014-15 के दौरान ऑब्जेक्ट हेड-31 'अनुदान साधारण' के अंतर्गत ₹ 535.00 करोड़ की राशि प्राप्त किया जिसे नियंत्रक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से वित्त मंत्रालय से पुनर्विनियोजन हेतु बिना मंजूरी प्राप्त किए 'पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान' की ओर विचलित कर दिया गया।

ii) राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण ने "देनदारियों" के अंतर्गत निर्धारित/बंदोबस्ती कोष के लिए अतिरिक्त राशि के रूप में दिखने के बजाए, ₹ 15.56 करोड़ की राशि को रॉयल्टी, फीस, सदस्यता का वर्णन कराते हुए आय के रूप में आय और व्यय खाते में दर्शाया। इसके अलावा, निर्धारित धनराशि से किए गए निवेश पर अर्जित ब्याज होने पर भी ₹ 10.77 लाख की राशि को आय के रूप में जमा किया गया। इससे ₹ 15.67 करोड़ तक आय को बढ़ाकर बताया गया।

iii) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने बचत बैंक खाते पर ब्याज को नकद आधार पर लेखाबद्ध किया जो इसकी महत्वपूर्ण लेखा नीति, जिसके अनुसार लेखा उपार्जन आधार पर तैयार किए गए थे, का उल्लंघन था।

iv) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के वार्षिक लेखा, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर पुनरीक्षित किए गए थे। लेखाओं के संशोधन का असर हुआ कि परिसंपत्ति/देनदारियाँ ₹ 1.21 करोड़ से बढ़ गई तथा ₹ 61.93 लाख से आय से ज्यादा व्यय की वृद्धि हो गई।

v) विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान प्रस्ताव के ऑनलाइन जमा करने संसाधित करने हेतु एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के विकास,

जो राजस्व प्रकृति का था, पर अनुकूलन एवं प्रशिक्षण प्रभार आदि पर किया गया ₹ 1.14 करोड़ का व्यय स्थिर परिसंपत्ति में शामिल किया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 1.14 करोड़ का स्थिर परिसंपत्तियों का अधिकथन तथा राजस्व व्यय का अल्पकथन हुआ।

vi) सी.एस.आई.आर. के 14 प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने उनके पास उपलब्ध एल.आर.एफ. की राशि से किए गए सावधि जमा पर वर्ष के दौरान जमा हुए ₹ 11.88 करोड़ के बराबर के ब्याज का लेखा में शामिल नहीं किया, जिसका परिणाम ₹ 11.88 करोड़ के एल.आर.एफ. एवं वर्तमान परिसंपत्तियों के अल्पकथन के रूप में हुआ।

vii) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) के पाँच प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने वर्ष के दौरान प्रयोगशाला सुरक्षित कोष (एल.आर.एफ.) के उत्पादन के रूप में प्रायोजित परियोजनाओं हेतु सहायता अनुदान पर अर्जित ₹ 23.06 करोड़ की राशि का ब्याज बुक किया। इसके अलावा, सात प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने भी वर्ष के दौरान (एल.आर.एफ.) ने अर्जित अपनी आय के रूप में ₹ 10.64 करोड़ तक की पूर्ण/समाप्त बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं की अव्ययित राशि को बुक किया था।

viii) बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं एवं एल.आर.एफ. की राशि से की गयी सावधि जमा पर वर्ष 2014-2015 के दौरान राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (एन.ए.एल.-सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशाला) द्वारा अर्जित ₹ 1.42 करोड़ की राशि के ब्याज को वर्ष 2014-15 हेतु लेखा खातो में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप सरकारी अनुदान एवं सुरक्षित तथा अधिशेष के विरुद्ध ₹ 1.42 करोड़ तक के देनदारियों के अल्पकथन तथा उसी हद तक वर्तमान परिसंपत्तियों के अल्पकथन के रूप में हुआ।

ix) सी.एस.आई.आर. (मुख्यालय) ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में बचत खाता खोलने हेतु 2005-06 में ₹ 20.00 लाख की राशि निकासी की तथा गलती से उसको संबंधित वर्ष के लेखा खातों में व्यय के रूप में दर्ज कर दिया। परिणामस्वरूप ₹ 20.00 लाख तक के वर्तमान परिसंपत्तियों (बचत खातों में बैंक में जमा राशि) तथा वर्तमान देनदारियों (विविध जमा एवं अग्रिम) दोनों के अल्पकथन हुआ।

x) 2014-15 के दौरान, एन.ए.एल. ने अपनी सेवाएँ प्रायोजक विभागों/एजेंसियों को दी तथा ₹ 1.96 करोड़ के सेवा कर/मूल्य वर्धित कर का भुगतान किया जिसकी वसूली प्रायोजक विभागों/एजेंसियों से 31 मार्च 2015 तक नहीं की जा सकी थी। इस राशि को वर्तमान परिसंपत्तियों (अन्य निकायों की ओर से

भुगतान बकाया) के अंतर्गत दिखाने के बजाय वर्ष 2014-15 हेतु अपने लेखा-खातों में व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। इसका परिणाम ₹ 1.96 करोड़ तक के वर्तमान परिसंपत्तियों (अन्य निकायों की ओर से भुगतान बकाया) का अल्पकथन तथा उतना ही व्यय का अधिकथन के रूप में हुआ।

xi) केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सी.डी.आर.आई.-सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशाला) ने अपने संबंधित वर्षो में ₹ 11.65 करोड़ की अग्रिम की दस मदों को समायोजित/पूंजी में परिणत किया तथा वर्ष 2014-15 के दौरान उसका अस्तित्व ही नहीं था। इसी तरह अग्रिम के पाँच मदों जिसके विरुद्ध ₹ 7.85 करोड़ मूल्य के चेकों की निकासी मार्च 2013 से सितंबर 2013 के बीच की गयी थी एवं उसे उसी वर्ष में रद्द कर दिया गया और इसके परिणामस्वरूप अग्रिमों को उसी वर्ष में निपटान भी कर दिया गया। हालांकि सी.डी.आर.आई. ने वास्तविक/मूल अग्रिमों जो, 31 मार्च 2015 तक समायोजन हेतु लंबित थे, के फर्जी समायोजन द्वारा उसका पुनः समायोजित/पूंजीकृत कर दिया।

xii) सी.डी.आर.आई. ने 2012-13 एवं 2014-15 के बीच ₹ 50.30 करोड़ के अग्रिम की निकासी की। इसलिए, तीन से लेकर एक वर्ष की अवधि हेतु वार्षिक 10 प्रतिशत की दर से स्थिर परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन प्रभारित करना आवश्यक था, यह विचार करते हुए कि वांछित सामग्री उसी वर्ष प्राप्त की गयी हैं। फिर भी, सी.डी.आर.आई. द्वारा दस से आठ वर्षो की अवधि हेतु 10 प्रतिशत की दर से अवमूल्यन वास्तविक रूप से प्रभारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक से ज्यादा अवमूल्यन प्रभारित करने के रूप मे हुआ।

xiii) बेतवा नदी बोर्ड अपने लेखों का रख-रखाव उपार्जन आधार के बजाय नकदी आधार पर करता था।

xiv) स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने स्वायत्त निकायों हेतु विहित सामान्य लेखा प्रपत्र में अपना लेखा तैयार नहीं किया था।

1.6 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

मंत्रालयों और विभागों को अनुदानियों जैसे कि वैधानिक निकायों, गैर सरकारी संस्थानों इत्यादि से अनुदानों की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना जरूरी हैं, जो इंगित करे कि अनुदानों को जिन उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किया गया था उन्ही के लिए इनका उपयोग किया गया हैं और जहां अनुदान सशर्त थे वहाँ निर्धारित शर्तो की

पूर्ति की गयी हैं। छह[3] मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ₹ 1,576.86 करोड़ के कुल अनुदान के लिए 9,307 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.), जो कि मार्च 2015 तक देय थें, बकाया थें जैसा कि ***परिशिष्ट I*** में दर्शाए गए हैं। डी.एस.टी., डी.बी.टी. एवं डी.एस.आई.आर. ने लंबित यू.सी. की सूचना नहीं दी थी।

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की मंत्रालय/विभागवार स्थिति तालिका 5 में दी गयी हैं।

तालिका 5 : 31 मार्च 2015 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	**मार्च 2014 को समाप्त अवधि के लिए**	
	संख्या	**राशि**
1) डी.ए.ई.	1,162	89.61
2) डी.बी.टी.	विवरण उपलब्ध नहीं	
3) डी.एस.टी.	विवरण उपलब्ध नहीं	
4) डी.एस.आई.आर.	विवरण उपलब्ध नहीं	
5) डी.ओ.एस.	289	14.66
6) एम.ओ.ई.एस.	724	55.70
7) एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	6,150	461.51
8) एम.एन.आर.ई.	733	850.31
9) एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	249	102.07
कुल	**9,307**	**1,573.86**

1.7 विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम - प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 84 में उपबंधित है कि वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम ऐसे सहायक लेखे तथा प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करेंगे, जैसा की सरकार द्वारा भारत के सी.ए.जी. की सलाह से निर्धारित किए गए हों।

31 मार्च 2015 तक वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के दो विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम अर्थात डी.ए.ई. के तहत परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद तथा भारी जल बोर्ड, मुंबई थे, जो इस कार्यालय के लेखापरीक्षा के नियंत्रणाधीन थें। इन उपक्रमो के वित्तीय परिणाम, प्रोफॉर्मा लेखे जिसमे ट्रेडिंग लेखा, लाभ एवं हानि

[3] डी.ए.ई.,डी.ओ.एस.,एम.ओ.ई.एस.,एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.,एम.एन.आर.ई. एवं एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.आर.

एवं तुलन पत्र शामिल हैं, तैयार करके वार्षिक रूप से बनायी जाती हैं। फिर भी भारी जल बोर्ड एवं परमाणु ईंधन परिसर के 2014-15 की अवधि हेतु प्रोफॉर्मा लेखे, लेखापरीक्षा हेतु एक वर्ष के विलंब के बाद भी प्राप्त नहीं हुए थे।

1.8 हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना

मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत 2014-15 के दौरान अपलिखित/माफ की गयी हानियाँ और न वसूल हो सकने वाली देयताओं को इस प्रतिवेदन के ***परिशिष्ट II*** में दिया गया है। परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि 2014-15 के दौरान ₹ 21.02 लाख के 47 मामलों की राशियों को 'अन्य कारणो' के लिए अपलिखित किया गया; और एक-एक मामले में वसूली की माफी से संबंधित ₹ 7,000 की राशि तथा अनुग्रही भुगतान के लिए ₹ एक लाख माफ कर दिये गए।

1.9 प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति के अनुशंसाओं पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सी. एण्ड ए.जी. के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश सभी मंत्रालयों को जून 1960 में जारी किया था। यह समय सी. एण्ड ए.जी. द्वारा निर्मित लेखापरीक्षा व लेखा नियमावली के पैरा 207(1) के तहत भी निर्धारित है।

प्रारूप पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा जाँचों की ओर उनका ध्यान दिलाने के लिए प्रेषित किया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजें। उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे पैराग्राफों को सी. एण्ड ए.जी. की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो कि संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, में सम्मिलित किए जाने की संभावना में उनके टिप्पणियाँ सम्मिलित करना वांछनीय होगा।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पैराग्राफों को संबंधित सचिवों को दिसम्बर 2015 और जनवरी 2016 के बीच उनको व्यक्तिगत रूप से संबोधित पत्रों के माध्यम से प्रेषित किया गया था।

इस प्रतिवेदन में अध्याय II से VI में दर्शित ₹ 32.49 करोड़ के 11 पैराग्राफ हैं जिनमें चार दीर्घ पैराग्राफ शामिल है। 11 में से आठ पैराग्राफों के बारे में संबंधित मंत्रालय/विभाग के उत्तर प्राप्त हुए थे। इनमें से, दो पैराग्राफों के बारे में विभाग

द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किए गए। शेष छः पैराग्राफों के बारे में प्राप्त उत्तरों को समुचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति ने 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपनी नवीं रिपोर्ट (ग्यारहवीं लोक सभा) में अनुशंसा की थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के उपरांत की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चार महीनों के भीतर उन्हे प्रस्तुत की जाए।

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सी. एण्ड ए.जी. के प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया ए.टी.एन. की समीक्षा से पाया गया कि 31 दिसम्बर 2015 (विवरण ***परिशिष्ट III*** में) तक तीन मंत्रालय/विभागों से पाँच लंबित ए.टी.एन. पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए थें, जो कि प्रस्तुत करने में 10 से 37 महीनों की देरी को दर्शाते हैं। सात मंत्रालयों/विभागों से 42 पैरा से संबंधित पुनरीक्षित ए.टी.एन. 104 महीने तक से लंबित थें (***परिशिष्ट IV***)।

लंबित ए.टी.एन. की कुल स्थिति नीचे चार्ट में संक्षेपित की गई है:

चार्ट 3 : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया ए.टी.एन. की संख्या